

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/एम-866/19/ दिनांक:-

आदेश

श्री मकसूद खान, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,करेडा वर्तमान पदस्थापन राजकीय मेडिकल कॉलेज,भीलवाडा का स्वयं की बीमारी के कारण दिनांक 03.06.16 से दिनांक 24.07.16 तक 52 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश (22 दिवस) की सीमा तक परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/एम-866/19/68

दिनांक:- 17-01-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,राजकीय मेडिकल कॉलेज,भीलवाडा
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,भीलवाडा।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,करेडा,भीलवाडा।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।